मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

मोदी लोचा और बैंककर्मी 3
सावरकर की माफी 4
पंड्या हत्याकांड में खुलासा 5
चौटालों की नूरा कुश्ती 8

वर्ष 32 अंक -1 फ़रीदाबाद 18-24 नवम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹2.50

मजदूर मोर्चा का आंकलन सही सिद्ध हुआ

फसल बीमा योजना एक बड़ा मोदी घोटाला

85 लाख किसान निकले इसके शिकंजे से

फ़रीदाबाद (म.मो.) वर्ष 2015 में जब जुमलेबाज पीएम मोदी ने किसानों की भलाई के नाम पर 'पीएम फसल बीमा योजना' की शुरूआत की थी, तभी 'मजदूर मोर्चा' ने इस योजना द्वारा होने वाली देशव्यापी लूट का पूरा विश्लेषण सुधी पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर दिया था।

योजना की खासियत यह रही है कि किसान चाहे या न चाहे, उनसे पूछे बगैर उनके बैंक खातों से फसल बीमा की किश्त के रूप में एक रकम बैंक मैनेजर द्वारा काट ली जाती थी। इस रकम के अलावा सब्सिडी के तौर पर किश्त का एक बड़ा हिस्सा राज्य व केन्द्र सरकार बीमा कम्पनी को अदा करती थी। बैंक मैनेजरों के अलावा कृषि विकास अधिकारियों से भी किसान की फसल के बारे में एक रिपोर्ट जबरन ली जाती थी। सरकार की इस गुंडागर्दी के विरुद्ध 2016 में कृषि अधिकारियों ने हड़ताल की धमकी देते हए झज्जर शहर में राज्य स्तरीय प्रदर्शन भी किया था। दूसरी ओर बैंक मैनेजरों ने भी बिना किसानों की सहमति के, उनके खातों से किश्त काटने से साफ इंकार कर दिया था। उसके बावजूद भाजपा की राज्य सरकारें जैसे-तैसे बीमा कम्पनियों को किश्तें भरती रहीं।

इस योजना की एक अन्य खास बात यह थी कि बीमे का यह लूट व्यापार सरकारी बीमा कम्पनियों को न देकर मुकेश अंबानी की कम्पनी सहित 3 निजी कम्पनियों को दिया गया। इनमें से दो विदेशी थीं। निजी कम्पनियों को यह लूट व्यापार का धंधा इसलिए दिया गया था ताकि लूट कमाई में से अपने हिस्से का मोटा कमीशन लेने में भाजपा एवं संघ को कोई दिक्कत न हो जबकि सरकारी कम्पनियों से इसे वसूलेगा न तो संभव था और न ही गोपनीय हो सकता था।

मोदी सरकार द्वारा मचाई गयी बीमा लूट के कुछ आंकड़े 'मजदूर मोर्चा' के पानीपत स्थित सहयोगी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किये हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र की दस बीमा कम्पनियों ने बीते दो साल में कुल 15795 करोड़ रुपये कमाये। वर्ष 2016-17 में इन बीमा कम्पनियों की औसत कमाई प्रति माह 538.30 करोड़ रही। वर्ष 2017-18 में यह औसत कमाई बढ़कर 778 करोड़ रुपए मासिक हो गयी। वर्ष 2016-17 में कुल 5.72 किसान इस योजना के शिकार बताये गये थे। 2017-18 में इतने में से 85 लाख किसान इस लूट शिकंजे से मुक्त होने में कामयाब हो गये।

वर्ष 2016-17 में इन कम्पनियों की वार्षिक लूट कमाई 6459.64 करोड़ रही तो 2017-18 में इस में 150 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह लूट कमाई 9335.62 करोड़ रुपए तक जा पहुंची।

हरियाणा में वर्ष 2016-17 में 1336028 किसानों को बीमा जाल में फंसाया गया तो 2017-18 में 1351256 किसानों को इसमें लपेटा गया। वर्ष 2016-17 में किसानों से कुल 364.39 करोड़ रुपए की किश्त वसूलकर मात्र 292.55 करोड़ रूपए का मुआवजा दिया गया।

लूट की घुसपैठ को समझने के लिए पलवल जिले के गांव किठवाड़ी का उदाहरण महत्वपूर्ण है। इसमें एक किसान की उस जमीन का भी फसल बीमा कर दिया गया था जिस पर फसल बोई ही नहीं गयी थी। वास्तव में जमीन उस कम्पनी की किराये पर दी गयी थी जो उस वक्त इस्टर्न पेरिफेरियल रोड यानी केजीपी रोड बना रही थी। कम्पनी ने इस जमीन पर अपना यार्ड बनाकर अपना सामान, मशीनरी व दफ्तर आदि रखे हुए थे।

(एक और मोदी घोटाला पेज 3 पर)

मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त कारण गुजरात दंगा मामले में एमिकस क्यूरी ने दी थी रिपोर्ट

जनचौक ब्यूरो, दिल्ली

(गुजरात दंगा मामले में पीएम मोदी के खिलाफ मुकदमा चलाने के मसले पर दायर जकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। उसके साथ ही मामले में एमिकस क्यूरी रहे राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट एक बार फिर प्रासंगिक हो गयी है। उस रिपोर्ट की कुछ बुनियादी बातों को यहां दिया जा रहा है-संपादक)

गुजरात दंगा मामले में गठित एसआईटी जांच में सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच वैमनष्य बढ़ाने समेत कई मामलों में मुकदमा चलाया जा सकता है।

एसआईटी की रिपोर्टों के साथ एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन की दो रिपोर्टें भी शामिल थीं। इन रिपोर्टों को उन्होंने जनवरी और जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। गौरतलब है कि एसआईटी का गठन गुजरात दंगों के दौरान सरकार द्वारा अपनी भूमिका न निभाए जाने की शिकायत की जांच के लिए किया गया था। इस दंगे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुयी थी।

अपनी रिपोर्ट में रामचंद्रन आरके राघवन के नेतृत्व वाली एसआईटी के इस निष्कर्ष से पूरी तरह से असहमत थे कि आईपीएस अफसर संजीव भट्ट 27 फरवरी, 2002 को गोधरा नरसंहार के बाद मुख्यमंत्री के निवास पर हुई गुजरात के पुलिस अधिकारियों की एक देर रात बैठक में नहीं शरीक हुए थे।

गौरतलब है कि भट्ट ने दावा किया था कि- सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट और एसआईटी और एमिकस क्यूरी को दिए बयान में- वो उस बैठक में मौजूद थे जहां मोदी ने कथित रूप से कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों से बदला लेने के लिए हिंसा करने की इजाजत दी जानी चाहिए।

रामचंद्रन ने कहा कि ट्रायल स्टेज से पहले भट्ट के दावे पर अविश्वास करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लिहाजा उनके दावे का केवल कोर्ट में ही परीक्षण किया जा सकता है। उनका कहना था कि "ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस चरण में श्री भट्ट पर अविश्वास किया जाना चाहिए और श्री मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ायी जानी चाहिए।"

एमिकस क्यूरी के मुताबिक मोदी का कथित बयान कानून के तहत अपने-आप में एक अपराध है और उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि "मेरे विचार में इस प्राथमिक स्टेज पर मोदी के खिलाफ जो मामले बनाए जा सकते हैं उनमें 153 बी (1)(ए) और (बी)(समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान), 153 बी (1) (सी) (राष्ट्रीय हितों के प्रति पूर्वाग्रह के दावे और इल्जाम), 166 (क्षति पहुंचाने की मंशा से कानून के निर्देशों की अवज्ञा करने वाला सरकारी नौकर) और 502 (2) (सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले बयान) की धाराएं शामिल हैं।"

"दि हिंदू" की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने भट्ट को विभिन्न आधारों पर अविश्वसनीय गवाह बताकर खारिज कर दिया था। जिनमें वो 9 साल तक चुप रहे थे; उनके पास सरकार के खिलाफ जाने का एक स्वार्थ था; जिस बात को मोदी कहे थे भट्ट की ठीक वही भाषा नहीं थी; उन्होंने गवाहों को सिखाने-पढ़ाने की कोशिश की थी; और मोदी द्वारा 28 फरवरी, 2002 की सुबह 10.30 बजे बुलाई गयी बैठक में उनके शामिल होने का दावा उनके कॉल रिकार्ड्स से मेल नहीं खाता है जो दिखाता है कि वो उस समय अहमदाबाद में थे (बैठक गांधीनगर में हुई थी) आदि बातें शामिल थीं। (भट्ट ने "दि हिंदू" को बताया था कि 28 फरवरी, 2002 को दो बैठकें हुई थीं एक दोपहर से पहले और दूसरी दोपहर के बाद)।

इसके साथ ही एसआईटी ने कहा था कि 27 फरवरी की बैठक में भट्ट की मौजूदगी की दूसरे शामिल होने वालों ने भी नहीं पुष्टि की।

अपनी आखिरी रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने कहा कि "एक गवाह पर विश्वास करने या न करने का चरण मुकदमा शुरू होने के बाद आता है दूसरे शब्दों में इस पर विचार करने के लिए सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। इस चरण में जब तक कि कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक श्री भट्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।"

शेष पेज दो पर

पांच साल से बिना प्रिंसिपल के चल रहा डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज

नीलम गुलाटी की योग्यता प्रोफेसर की भी नहीं, रहना चाहती है प्रिंसिपल

एनएच-3 स्थित डीएवी प्रबंधन संस्थान पिछले करीब पांच वर्षों से बिना किसी प्रिंसिपल के ही घिसट रहा है। प्रिंसिपल की कुर्सी पर जिस नीलम गुलाटी को मैनेजिंग कमेटी ने बैठा रखा है उनकी योग्यता प्रोफेसर बनने की भी नही है। जिस हेराफेरी से इन्हें प्रोफेसर बनाया गया था वह पकड़ी जा चुकी है जिसको लेकर स्थानीय सैशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जबकि महर्षि दयानन्द यूनिवसिर्टी जवाब देने से बच रही है।

एआईसीटीई की कड़ी चेतावनी के बाद प्रबंधन कमेटी ने प्रिंसिपल पद के लिए योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन हेतु अखबारों में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित कराये। साक्षात्कार के लिये बार तारीख तय की गयी लेकिन रद्द करनी पड़ी। कारण ? कारण सिर्फ इतना कि नीलम गुलाटी हर कीमत पर प्रिंसिपल की कुर्सी कब्जाये रखना चाहती है। इसके लिए डीएवी प्रबंधन कमेटी तो पुरजोर प्रयास कर ही रही है, नीलम ने भी हरियाणा सरकार की उच्च शिक्षा आयुक्त ज्योति अरोड़ा से अपनी रिश्तेदारी निकाल ली है। दवाब में एमडीयू के कुलपति ने पैनल में जिस प्रोफेसर मुकेश धुन्ना को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था उन्होंने पैनल में बैठने से ही साफ इंकार कर दिया। इसके बाद नई तिथि 14 नवम्बर रखी गयी। इसके लिए प्रो. राजकुमार को कुलपति ने अपना नुमायंदा नियुक्त किया। लेकिन कुलपति द्वारा नीलम को प्रिंसिपल चुनने की बात कहे जाने पर उन्होंने भी पैनल में भी बैठने से इंकार कर दिया।

सुधी पाठको ने गतांकों में पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल की चयन प्रक्रिया में जो पैनल बैठता है उसमें एक प्रतिनिधि एमडीयू की ओर से से भी होना जरूरी होता है। लेकिन कुलपति द्वारा नीलम जैसे अयोग्य को इस पद के लिए चयनित करके कोई भी बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता। सबको पता है कि यह मामला कल को कोर्ट तक भी जा सकता है। वहां जवाबदेही केवल पैनल में बैठने वालों की ही होगी न कि कुलपति की या ज्योति अरोड़ा की। ये सब तो साफ मुकर जायेंगे कि इन्होंने नीलम के हक मे कोई दबाव डाला था।

प्रिंसिपल की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने के चलते न तो संस्थान को प्रिंसिपल मिल पा रहा है न ही कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वह पैनल काम कर पा रहा है जिसके द्वारा फैकल्टी सदस्यों की पदोन्नतियां होती हैं यानी कि एसिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और एसोसिएट से प्रोफेसर बनने का सिलसिला भी रुका पड़ा है। इस पैनल की बैठक 23 फरवरी को दिल्ली स्थित सीएमसी कार्यालय में रखी गयी थी लेकिन एमडीयू के नुमायंदे के न आने से पैनल के बाकी सदस्य बैरंग लौट गये। इसी तरह 15 मार्च को यहीं डीएवीआईएम में रखी मीटिंग में भी एमडीयू से किसी के ना आने से बैठक रद्द हो गयी।

इन सब कार्याकलापों के चलते फैकल्टी में तो भारी रोष है ही विद्यार्थियों में भी असमंजस का माहौल है। परिणामस्वरूप, एआईसीटीई ने संस्थान की 240 सीटों को घटाकर 120 कर दिया है लेकिन संस्थान की गिरती साख के चलते ये 120 सीटों भी पूरी नहीं भर पा रही है।